यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़** के माह 04/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रवि शंकर एवं श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31-10-2018 से 03-11-2018. तक श्री बी॰ डी॰ सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर एवं श्री राजा रंजन राव सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 27/04/2015 से 30/04/2015 तक काव्यदीप जोशी सहायक महालेखार के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था जिसमें माह 11/2006 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़ का मुख्य कार्यकलाप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान का वितरण आदि संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत अच्छादित सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) रू.	बचत (-) रू.
	स्थापना रू.	गैर स्थापना	आवंटन रू.	व्यय रू.	आवंटन रू.	व्यय रू.		
2015-16	शून्य	शून्य	278.16	258.67	शून्य	शून्य		19.49
2016-17	शून्य	शून्य	240.29	214.10	शून्य	शून्य		26.19
2017-18	शून्य	शून्य	227.16	223.28	शून्य	शून्य		3.88
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	216.47	130.73	शून्य	शून्य		85.74

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)/ बचत (-)
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2018-19 (Upto Sep. 2018)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत शासन स्तर से प्राप्त किए जाते हैं । विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. प्रमुख सचिव 3. आयुक्त 4. अपर आयुक्त 5. संयुक्त आयुक्त 6. उपायुक्त 7. जिला पूर्ति अधिकारी 8. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी 9. पूर्ति निरीक्षक 10. लेखाकार आदि

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, चम्पावत (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राज्य सरकार से प्राप्त बजट का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

(VI) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखातथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01 : योजना का कार्यान्वयन न किये जाने से योजना की धनराशि रूपये 75.51 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा ब्याज की धनराशि रूपये 59.02 लाख को शासन को समर्पित न किया जाना।

आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 207/ XIX/ 2008-53 खाद्य/ 2007 दिनांक 20.02.2008 के द्वारा ग्रामीण विषम भौगोलिक क्षेत्र की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्सन दिये जाने के लिए वर्ष 2008 में राज्य के जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी एवं धारचूला को चिन्हित किया गया। बी॰पी॰एल॰/ अंतोदय परिवार की महिलाओं को निशुल्क गैस कनेक्सन वितरण हेतु धनराशि रूपये 308.00 लाख आबंटित की गयी थी। उक्त योजना से आच्छादित लाभार्थियों को घरेलू गैस कनैक्सन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी॰ पी॰ एल॰/ अंत्योदय राशन कार्ड धारक ऐसे परिवारों को दिया जायेगा जिनके पास पूर्व में घरेलू गैस कनैक्सन सुविधा नहीं है।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के 3,400 एवं धारचूला 5,555 लाभार्थियों को निशुल्क गैस कनेक्सन वितरण हेतु चिन्हित किया गया। उक्त गैस कनेक्सन वितरण किए जाने के लिए मार्च 2008 में प्राप्त धनराशि रूपये 308.00 लाख को कोषागार से आहरित कर भारतीय स्टेट बैंक, पिथौरागढ़ के खाता संख्या 30363375565 में जमा करा दिया गया। उक्त धनराशि के सापेक्ष धनराशि रूपये 2,32,49,168/- का व्यय वर्ष 2014 तक किया गया तथा शेष धनराशि रूपये 75,50,832/- बिना व्यय के लेखा परीक्षा अवधि (अक्टूबर 2018) तक अवरुद्ध रखा गया था। इस योजना को प्रारम्भ हुये 10 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी मुनस्यारी विकास खण्ड के 3400 लाभार्थियों में से 2340 लाभार्थियों को गैस कनैक्सन उपलब्ध कराये एवं 1060 लाभार्थियों को गैस कनैक्सन उपलब्ध नहीं कराये गए तथा धारचूला विकास खण्ड के 5,555 लाभार्थियों में से 4974 लाभार्थियों को गैस कनैक्सन उपलब्ध कराये एवं 581 को गैस कनैक्सन उपलब्ध नहीं कराये गए। इस प्रकार 1641 व्यक्तियों को योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया।

विभागीय उदासीनता के कारण कुल 1641 परिवारों को गैस कनेक्सन वितरित नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत धनराशि पर सितम्बर 2018 तक ब्याज की धनराशि रूपये 59.02 लाख अर्जित हुआ था जिसे न तो समर्पित किया गया और न ही धनराशि को लेखा शीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा किया गया था।

उक्त से स्पष्ट था कि विभागीय उदासीनता के कारण योजना की राशि रूपये 75.51 लाख तथा ब्याज की राशि रूपये 59.02 लाख कुल धनराशि रूपये 131.80 लाख को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा गया तथा 1641 परिवारों को गैस कनेक्सन वितरित नहीं किए जा सके। जिससे उक्त धनराशि का उपयोग अन्यत्र विकास कार्यों में नहीं किया जा सका।

उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि खण्ड विकास अधिकारियों के स्तर से चयनित प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण गैस प्रबन्धकों के द्वारा गैस कनैक्सन जारी नहीं कराये गये। गैस प्रबन्धकों को चयनित लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र समय- समय पर प्राप्त न होने के कारण 1641 परिवारों को गैस कनेक्सन वितरित नहीं किए जा सके। गैस कनेक्सन वितरित जाने की कार्यवाही गतिमान है। ब्याज की धनराशि रूपये 59.02 लाख को जमा किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विभागीय उदासीनता के कारण 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी योजना के अन्तर्गत चयनित 1641 परिवारों को गैस कनैक्सन नहीं दिये गए एवं सरकार द्वारा लागू योजना को पूरा नहीं किया जा सका। जबकि इस योजना की राशि रूपये 75.51 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा आम जनता के 1641 परिवारों को इस योजना से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया। उक्त धनराशि पर ब्याज के रूप में अर्जित धनराशि रूपये 59.02 लाख को यथा समय शासन को लेखा शीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ में जमा नहीं किया गया जिससे उक्त धनराशि का अन्य किसी योजना में उपयोग नहीं किया जा सका।

अतः योजना को पूरा न किये जाने से योजना की धनराशि रूपये 75.51 लाख को अवरूद्ध रखा गया तथा ब्याज की धनराशि रूपये 59.02 लाख को शासन को समर्पित नहीं किये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- खाद्यान एवं भंडारों को गेहूं का कम वितरण 2931.52 कुंतल।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार खाद्यानों का वितरण राशन कार्डों तथा उनमें अंकित यूनिटों के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसके तहत भारत सरकार की दो योजनाये; अन्तोद्य तथा प्राथमिक परिवार लागू की गयी हैं प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष यूनिटों के आधार पर दो किग्रा॰ गेहूं प्रति यूनिट प्रति माह (यूनिटों की संख्या x 0.02 कुंतल x 12 माह) आबंटित किया जाना चाहिए था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, चम्पावत की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2017-18 में प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत छः आंतरिक गोदामों को मानकों से कम गेहूं आबंटित किया गया जिसका विवरण निम्न है-

क्र॰ सं॰	**आंतरिक गोदाम का नाम**	**यूनिटों की संख्या**	**मानक के अनुसार गेहूं का आबंटन (यूनिट x 0.02 x 12 कुंतल)**	**वास्तविक आबंटित मात्रा (कुंतल में)**	**कमी/ अन्तर (कुंतल में)**
1	गुरना	13725	3294.00	2701.82	592.00
2	मुनाकोट	12771	3065.04	2788.62	276.42
3	डीडीहाट	14034	3368.16	3053.58	314.58
4	थल	15245	3658.80	3334.10	324.70
5	गंगोलिहाट	38654	9276.96	8323.18	953.78
6	गणाई- गंगोली	17043	4090.32	3620.28	470.04
कुल योग		**111472**	**26753.28**	**23821.58**	**2931.52**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राथमिक परिवार योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में छः आंतरिक गोदामों को **2931.52** कुंतल गेहूं कम आबंटित हुआ जिससे प्रति व्यक्ति/ यूनिट 0.24 कुंतल (0.002 कुंतल प्रति माह/ 0.24 कुंतल प्रति वर्ष) प्रति वर्ष की दर से लगभग 12214 व्यक्तियों को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2017-18 में उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्राथमिक परिवार योजना के अन्तर्गत 2.0 किग्रा॰ के स्थान पर गेहूं 1.9 किग्रा॰ प्रति यूनिट आबंटित किया गया जिस कारण इस योजना में गेहूं का आन्तरिक भण्डारों को कम आबंटन किया।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इस योजना में 2.0 किग्रा॰ गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह आबंटित किया जाना आवश्यक था जो कि शासन द्वारा 2931.52 कुंतल कम किए जाने से 12214 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत गेहूं लाभ से वंचित रखा गया का । अतः उपरोक्त योजनाओं में गेहूं के कम आबंटन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- मिट्टी के तेल का समुचित उठान न किए जाने से नागरिकों को मिट्टी के तेल की सुविधा से वंचित किया जाना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आदेश संख्या 254 दिनांक मई 2017, आदेश संख्या 690 दिनांक अगस्त 2017 तथा आदेश संख्या 1333 दिनांक नवम्बर 2017 द्वारा तीन त्रैमासों के लिए जनपद पिथौरागढ़ को कुल 1503 किलो लीटर मिट्टी का तेल आबंटित किया गया था यह मिट्टी का तेल उन कार्ड धारकों को वितरित किया जाना था जिनके पास अभी तक न तो विदद्युत का संयोजन था और न ही गैस का संयोजन था। मिट्टी के तेल का वितरण प्रथम त्रैमास में पर्वतीय क्षेत्र में 05 लीटर प्रति राशन कार्ड तथा द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में 02 लीटर प्रति राशन कार्ड की दर से वितरित किया जाना चाहिए था।

जिला पूर्ति अधिकारी की लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जनपद को कुल आबंटित 1503 किलो लीटर के सापेक्ष 930 किलो लीटर मिट्टी के तेल का ही उठान एवं वितरण किया गया, जो कि आबंटित मात्रा से 573 किलो लीटर कम था, पुनः देखा गया कि जनपद में पाँच वितरकों द्वारा मिट्टी का तेल का उठान किया जाना था तथा इसको सरकारी सस्ते गल्ले कि दुकानों तक पहुंचाना था परन्तु इन वितरकों द्वारा मिट्टी के तेल का उठान एवं वितरण कम किया गया जिसका विवरण निम्न है-

(मात्रा किलो लीटर में)

त्रैमास	**जय अम्बे ऑइल**		**हरबंस मोटर वर्क्स**		**भगवती पेट्रोलियम**		**मलय ऑइल क.**		**हरलाल शाह एण्ड संस**		**योग**	
	आबंटन	**उठान**	**आबंटन**	**उठान**	**आबंटन**	**उठान**	**आबंटन**	**उठान**	**आबंटन**	**उठान**	**आबंटन**	**उठान**
प्रथम	27	24	54	48	90	80	300	290	30	30	501	472
द्वितीय	27	24	54	24	90	40	300	300	30	30	501	418
तृतीय	27	00	54	00	90	10	300	20	30	10	501	40
योग	**81**	**48**	**162**	**72**	**270**	**130**	**900**	**610**	**90**	**70**	**1503**	**930**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि किसी भी वितरक द्वारा तीनों त्रैमासों में पूर्ण उठान नहीं किया गया तथा दो वितरकों के द्वारा तृतीय त्रैमास में कोई उठान नहीं किया गया और तीन वितरकों द्वारा अल्प मात्रा में मिट्टी के तेल का उठान किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि मिट्टी के तेल का वितरकों द्वारा कम उठान का कारण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्तमान में आबंटन कम किया जाना है क्योंकि पूर्व में मिट्टी के तेल का आबंटन अधिक था जिस कारण वितरक पूरा उठान कर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों तक इसको पहुंचाते थे। क्योकि कम आबंटन होने पर वितरकों द्वारा दूर दराज इलाकों में कम मात्रा आबंटित होने के कारण वितरकों द्वारा उठान नहीं किया गया।
विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मिट्टी के तेल की सुविधा केवल उन नागरिकों को उपलब्ध कराई जानी जो अभी तक विदद्युत तथा गैस संयोजन सुविधा से वंचित थे। अतः मिट्टी तेल का समुचित उठान न होने से नागरिकों को मिट्टी के तेल की सुविधा वंचित होना पड़ा।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-04- पेट्रोल पम्पों द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन जांच न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाना।

पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों के अधीन मोटर वाहनों में ईंधन डालने के लिए पम्प आउटफिट के संबंध में टैंक में पेट्रोलियम भंडारकरण के लिए अनुज्ञप्ति के अनुसार पेट्रोलियम वर्ग क परिसर के लिए उसकी क्षमता के अनुसार भूमिगत गैस टाईट टैंक जो निर्धारित विददुत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से जुड़े होने चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार कोई भी निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देशों एवं इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमि॰ के अपने मानकों के अनुसार करना होगा।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़ में पेट्रोल पम्पों के लाइसेन्स अभिलेखों की जाँच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया जनपद में अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार जांच नहीं की जा रही थी । पेट्रोल पम्पों के द्वारा भूमिगत गैस टाईट टैंक से निर्धारित विद्धुत चालित/ हस्तचालित डिस्पेंसिंग पंपों से निर्धारित नोजलों से अधिक नोजल लगाये जाने की जांच विभाग द्वारा नहीं की गयी। विभाग द्वारा जनपद के 15 पेट्रोल पम्पों में से 06 से प्रारूप XIV प्राप्त किया गया शेष 09 से प्रारूप XIV प्राप्त ही नहीं किए गए जिससे यह पता चल सके कि शेष 09 पेट्रोल पम्पों में कितने नोजल की शासन से स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, उक्त पेट्रोल पम्पों की वास्तविक स्थिति अभिलेखों से स्पष्ट नहीं हो पायी। लाइसेन्स की निर्धारित शर्तों के अनुसार रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य प्रस्तावित प्लान के अनुसार ही किया गया था एवं कार्यस्थल पर वर्तमान में अनुमोदित प्लान में फेरबदल किया गया इसकी जांच भी नहीं की जा रही थी।

उक्त से स्पष्ट था कि विभाग की उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्प की जांच नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन न किए जाने से पेट्रोल पम्पों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा था। उक्त के सम्बंध में इंगित किये जाने पर पूर्ति अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि 09 पैट्रोल पम्पों से प्रोफ़ार्मा XIV प्राप्त किया जायेगा। वर्तमान में पैट्रोल पम्पों के नोजलों की जांच नहीं की जा रही है, भविष्य में जांच की जायेगी।

पूर्ति अधिकारी का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि कार्यालय के द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नोजल लगाए जाने से संबन्धित कोई संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट था कि पूर्ति अधिकारी द्वारा जांच नहीं की जा रही थी और पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा था।

अतः विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के अभाव में पेट्रोल पम्पों को अनुचित लाभ पहुंचाए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-5- धनराशि रू. 1.57 करोड की प्रविष्टि रोकड़ बही मे न करना।

शासन के पत्रांक स॰ 3/xxvii (6) 2013 दिनांक 02 जनवरी, 2013 के बिन्दु स॰ 4.9 मे ई पेमेंट प्रणाली मे दिये गए दिशा निर्देशों के अनुसार "आहरण एवं संवितरण अधिकार इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशी संबन्धित के बैंक खाते मे अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखो यथा, 11-सी पंजिका, रोकड़ बही, बिल रजिस्टर आदि मे इनके प्राप्त होने की प्रविष्टी यथा स्थान करेंगे। इसके अतिरिक्त Form बीएम-05 मे DDO द्वारा संबन्धित माह मे किए गए लेनदेनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रूप से वर्णित है की "certified that all the drawls shown in the statement ar correct except the followings ones (if any) which have not been made by me and besides the above the following are also the drawls (if any) by me during the month which have not been shown in the statement."

इकाई की रोकड़ बही की नमूना जांच मे पाया गया कि चयनित माहों 03/2016 व 03/2018 मे बीएम-05 दर्शायी गयी वेतन एवं अन्य विभिन्न मदों कि कुल व्यय धनराशि रू. 1,56,56,047/- (64,66,285+ 9189762) को रोकड़ बही मे नहीं दर्ज किया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया की भविष्य मे अनुपालन किया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: धनराशि रू. 1.57 करोड की प्रविष्टि रोकड़ बही मे न करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01- जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण न किया जाना।

भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लाभार्थियों को आधार सीडिंग तथा डिजिटाइज्ड करने हेतु बल दिया गया था जिसके सन्दर्भ में खाद्य आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी लाभार्थियो का आधार सीडिंग तथा इनका डिजिटैजेशन अप्रैल 2017 तक अनिवार्य रूप से किया जाये क्योंकि ऐसा न होने की दशा में राज्य के कोटे पर निर्गत सब्सिडाइज्ड राशन की मात्रा पर विपरीत असर पड़ रहा था। अतः राज्य हित में उक्त कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाना अति आवश्यक था।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एव नागरिक पूर्ति विभाग, पिथौरागढ़ के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जनपद में मई 2018 तक कुल 126011 राशन कार्डों में से 5621 (4 प्रतिशत) राशन कार्डों का आधार सीडिंग का कार्य अपूर्ण था तथा 508829 यूनिटों में से 96049 (19 प्रतिशत) यूनिटों का आधार सीडिंग अपूर्ण था। उक्त राशन कार्डों/ यूनिटों को बिना आधार सीडिंग के खाद्य निर्गत जा रहा था।

लेखा परीक्षा में कारण पूछे जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि आधार सीडिंग का कार्य प्रगति पर है, इसे शतप्रशित पूर्ण करने का प्रयास जारी है।

विभाग का उत्तर संतोषजंक नहीं क्योंकि आदेशानुसार यह कार्य वर्ष 2016-17 के अंत तक पूर्ण किया जाना था किन्तु विभाग द्वारा सितम्बर 2018 तक 5621 कार्डों तथा 96049 यूनिटों का आधार सीडिंग का कार्य नहीं किया गया था ।

अतः जनपद में राशन कार्डों का आधार सीडिंग न किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
15/2015-16	01	01	00

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
---- अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या अप्रस्तुत-----				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--------------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
3. अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या।
4. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

5. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री मनोज कुमार बर्मन	जिला पूर्ति अधिकारी	04/2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.